

उनवान

- 1- सीता पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- इन्द्रा पुत्री गोपाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- गोविन्द पुत्र गोपाल कहार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सीता पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- मीरा पुत्री गोपाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- लाला पुत्र गोपाल कहार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सीमा पत्नी गोपाल कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- मोहन पुत्र भूरा कहार निवासी वार्ड नं. 23, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- छगना पुत्र भूरा कहार निवासी वार्ड नं. 23, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- ओम प्रकाश पुत्र देवा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- कैलाश पुत्र खेमा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- खाना पुत्र देबीलाल कहार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चंदादेवी पत्नी देबीलाल कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- चंदादेवी पत्नी खेमा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- दीपू पुत्र देबीलाल कहार नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चंदादेवी पत्नी देबीलाल कहार निवासी उदयभान गेट वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- नानी पुत्री देवा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- मैना पुत्री खेमा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- रामनिवास पुत्र देवा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- लाडू पुत्री देवा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- लाली पुत्री खेमा कहार निवासी वार्ड नं. 21, बेगु रोड़, उदयभान गेट शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा कृषि आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 74/2020 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादीगण द्वारा नोट प्रेस किया जाकर आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद
वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी
तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं